

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-570/2025

जगदेव सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़  
- वादी

बनाम

1. जसपाल सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अनिल कुमार पुत्र श्री तनसुख जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. चन्द सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. बलजीत कौर पत्नी श्री शमशेर सिंह जाति जटसिख नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. बलराम पुत्र श्री तनसुख जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. महकप्रीत कौर पुत्री श्री अजायब सिंह पत्नी श्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. सम्पूर्ण सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम.एम.के. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई

हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील

प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- मुताबिक

बंटवारा तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 82/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में

कुल 1.061 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीया सं. 4 को 0.473 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के,

प्रतिवादी सं. 1 व 6 को 0.112 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 5 को 0.113. है. कृषि भूमि का,

प्रतिवादी सं. 7 को 0.113 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.105 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी. सं. 2 व

5 को 0.145 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर भोला सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह

का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग-अलग

कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(क) वादी जगदेव सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह एवं प्रतिवादीया सं. 4 बलजीत कौर पत्नी श्री शमशेर सिंह

समस्त जाति जटसिख निवासीगण लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक

हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 82/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/200 30 21/1/0.169 है, 22/2/0.051 है.

147/200 31 25/1/0.215 है, 25/2/0.038 है.कुल 0.473 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 6 क्रमशः जसपाल सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह, महकप्रीत कौर पुत्री श्री अजायब

सिंह पत्नी श्री गुरसेवक सिंह(0.112 है. ब.हि.ब.) एवं प्रतिवादी सं. 5 चन्द सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह(0.

113 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.),

प्रतिवादी सं. 7 व 8 क्रमशः सम्पूर्ण सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह(0.113. है.) जाति जटसिख निवासी

लीलावाली एवं राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह(0.105 है.) जाति जटसिख निवासी 5 एम.एम.के.

किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 82/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/200 30 19/0.253 है, 20/2/0.190 है. कुल 0.443 है. कृषि भूमि.

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(ग) प्रतिवादी सं. 2 व 5 क्रमशः अनिल कुमार पुत्र श्री तनसुख एवं बलराम पुत्र श्री तनसुख समस्त जाति जाट निवासीगण लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिरसा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 82/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

147/200 31 16/2/0.107 है, 16/3/0.0038 है. कुल 0.145 है. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज  निल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी

आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5-1-2021 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

~~महामुक्त कलक्टर एवं~~  
उपखण्ड अधिकाारी संगरिया  
जयपुर  
संगरिया